न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/382 /10	24.12.2010	14.06.2018

उनवान

1. बलदेव राज पुत्र श्री रामशरण लाल खत्री
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामशरण लाल खत्री
3. नरेश कुमार पुत्र श्री रामशरण लाल खत्री
4. सुभाषचन्द पुत्र श्री चरणदास खत्री
5. सतीश कुमार पुत्र श्री चरणदास खत्री निवासियान ग्राम मालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह सिख निवासी ग्राम मालपुर
2. बलवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह सिख निवासी ग्राम मालपुर तहसील रामगढ

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय व अन्य

..... तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि साबिक खसरा नम्बर 522 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, जिसका हाल खसरा नम्बर 650 रकबा 0.35 हैक्ट0 कायम हुआ है। जो अराजी साबिक खसरा नम्बर 522 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व अन्य आराजीयात कुल किता 11 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम मालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर को मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण से जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रयपत्र दिनांक 22.06.79 पंजीबद्ध दिनांक 06.08.79 को क्रय किया था और प्रतिफल अदा करके कब्जा प्राप्त किया था तथा वक्त खरीद से वादीगण विवादित आराजी व अन्य खरीदशुदा आराजीयात पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आरजी में वादी सं0 1 ला0 3 का 1/2 हिस्सा एवं वादी सं0 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार बयनामा कराया गया है। विक्रय पत्र में सहबन से विवादित आराजी का साबिक खसरा नम्बर 522 के स्थान पर 512 दर्ज कर दिया गया था किन्तु रकबा

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

दावा वादीगण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

सही प्रकार से 1 बीघा 8 बिसवा ही दर्ज किया गया है। जबकि खसरा नम्बर 512 की आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी की था भी नही बल्कि साबिक खसरा नम्बर 512 दीगर व्यक्ति मुन्शी सिंह पुत्र खेवनसिंह वगैराह का था, जिसका रकबा भी केवल 4 बिस्वा है, जिसका हाल खसरा नम्बर 639 कायम हुआ है, जो वर्तमान मे मुन्शी पुत्र खेवनसिंह वगै0 के नाम दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि वादीगण ने विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 522 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा को प्रतिवादीगण से क्रय किया है तथा वादीगण उक्त आराजी मुतनाजा पर वक्त खरीद से ही बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त बयनामा का इन्तकाल बैय सं0 134 दर्ज वो मंजूर किया गा, उसमें अन्य आराजी खसरा नम्बर साबिक 370, 374, 377, 412, 415, 548, 546, 544, 507, 411 किता 10 का इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज वो स्वीकार हो गया जिनके हाल खसरा नम्बर 460, 466, 469, 513, 516, 673, 679, 682, 682/1639, 686 व 512 कायम हुए है जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। किन्तु विवादित आराजी सहबन से 522 के स्थान पर 512 दर्ज हो गया था, इसलिए इसका इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज नही हुआ । वादीगण उक्त इन्तकाल दर्ज हो जाने के बाद इस विश्वास में थे कि विवादित आराजी का भी इन्तकाल दर्ज होकर विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। इसलिए बयनामा में हुई उक्त त्रुटि की जानकारी वादीगण को नही हो सकी। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना किसी प्रकार का नही है। प्रतिवादीगण का नाम कागजातमाल में गलत प्रकार से खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज हो रहा है, जो इन्द्राज वादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल बेअसर एवं नाकाबिल पाबन्दी है और वादीगण उक्त गलत इन्द्राज को कलमजन करवाने के व इसके स्थान पर स्वयं को खातेदार दर्ज कराने के व तदानुसार समस्त कागजातमाल में दुरूस्ती कराने के कानूनन अधिकारी है। विवादित आराजी के वादीगण बोनाफाईड पर्चेजर है और मौके पर वर्ष 1979 से यानि करीब 32 साल से बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वादीगण विवादित आराजी के खातेदार है और वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री इस्तकारहक सादिर की जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 650 रकबा 0.35 हैक्ट0 वाके ग्राम मालुपर तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी सं0 1 ला0 3 को 1/2 हिस्से का व वादी सं0 4 व 5 का 1/2 हिस्से का मुश्तर्का में काबिज खातेदार घोषित किया जावे व कागजातमाल में अमल कराया जावें। प्रतिवादीगण का

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

दावा वादीगण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

नाम विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में जहां –जहां भी दर्ज हो रहा है उसे वादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल बेअसर एवं नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जावे और उसे कलमजन कराया जावे और उसके स्थान पर वादीगण को उपरोक्तानुसार खातेदार दर्ज कराया जावे और तदानुसार समस्त कागजातमाल में दुरूस्ती कराई जाकर अमल दरामद कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर में दिनांक 14.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया, विवादित आराजी वादीगण ने प्रतिवादीगण से जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रयपत्र दिनांक 22.06.79 पंजीबद्ध दिनांक 06.08.79 को क्रय किया था। तथा वक्त खरीद से वादीगण विवादित आराजी व अन्य खरीदशुदा आराजीयात पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आरजी में वादी सं0 1 ला0 3 का 1/2 हिस्सा एवं वादी सं0 4 व 5 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार बयनामा कराया गया है। विक्रय पत्र में सहबन से विवादित आराजी का साबिक खसरा नम्बर 522 के स्थान पर 512 दर्ज कर दिया गया था किन्तु रकबा सही प्रकार से 1 बीघा 8 बिस्वा ही दर्ज किया गया है। जबकि खसरा नम्बर 512 की आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी की था भी नही बल्कि साबिक खसरा नम्बर 512 दीगर व्यक्ति मुन्शी सिंह पुत्र खेवनसिंह वगैराह का था, जिसका रकबा भी केवल 4 बिस्वा है, जिसका हाल खसरा नम्बर 639 कायम हुआ है, जो वर्तमान मे मुन्शी पुत्र खेवनसिंह वगै0 के नाम दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि वादीगण ने विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 522 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा को प्रतिवादीगण से क्रय किया है । उपरोक्त बयनामा का इन्तकाल बैय सं0 134 दर्ज वो मंजूर किया, उसमें अन्य आराजी खसरा नम्बर साबिक 370, 374, 377, 412, 415, 548, 546, 544, 507, 411 किता 10 का इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज वो स्वीकार हो गया जिनके हाल खसरा नम्बर 460, 466, 469, 513, 516, 673, 679, 682, 682/1639, 686 व 512 कायम हुए है जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। किन्तु विवादित आराजी सहबन से 522 के स्थान पर 512 दर्ज हो गया था, इसलिए इसका इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज नही हुआ । प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना किसी प्रकार का नही है। प्रतिवादीगण का नाम कागजातमाल में गलत प्रकार से खिलाफ मौका व खिलाफ कानून

उप खण्ड़ अधिकारी, रामगढ़

दावा वादीगण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

दर्ज हो रहा है, उक्त गलत इन्द्राज को कलमजन करवाने के व इसके स्थान पर स्वयं को खातेदार दर्ज कराने के व तदानुसार समस्त कागजातमाल में दुरूस्ती कराने के कानूनन अधिकारी है। विवादित आराजी के वादीगण बोनाफाईड पर्चेजर है और मौके पर वर्ष 1979 से यानि करीब 32 साल से बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वादीगण विवादित आराजी के खातेदार है और वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 650 रकबा 0.35 हैक्ट0 वाके ग्राम मालुपर तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी सं0 1 ला0 3 को 1/2 हिस्से का व वादी सं0 4 व 5 का 1/2 हिस्से का मुश्तर्का में काबिज खातेदार घोषित किया जाता है। कागजातमाल में जहां –जहां भी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो रहा है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़
उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़ (अलवर)

दावा वादीगण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/382 /10	24.12.2010	14.06.2018

उनवान

1. बलदेव राज पुत्र श्री रामशरण लाल खत्री
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामशरण लाल खत्री
3. नरेश कुमार पुत्र श्री रामशरण लाल खत्री
4. सुभाषचन्द पुत्र श्री चरणदास खत्री
5. सतीश कुमार पुत्र श्री चरणदास खत्री निवासियान ग्राम मालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह सिख निवासी ग्राम मालपुर
2. बलवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह सिख निवासी ग्राम मालपुर तहसील रामगढ

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय व अन्य

..... तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 650 रकबा 0.35 हैक्ट0 वाके ग्राम मालुपर तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी सं0 1 ला0 3 को 1/2 हिस्से का व वादी सं0 4 व 5 का 1/2 हिस्से का मुश्तर्का में काबिज खातेदार घोषित किया जाता है। कागजातमाल में जहां –जहां भी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो रहा है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

दावा वादीगण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–